

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-4/2019-स्था. (भर्ती)
No.F.2-4/2019-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक:

06 NOV 2019

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति ।

Subject:- Promotion to the post of Dietician at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 01.10.2019 को आहार विशेषज्ञ के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत कुमारी स्यन्ला वीरराजु सूमा, सहायक आहार विशेषज्ञ को एन.सी.आई. झज्जर में 07 दिनों के अन्दर पदभार ग्रहण करने के तिथि से आहार विशेषज्ञ वेतन पे मेट्रिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + रु.4600 ग्रेड पे) पर पदोन्नत किया जाता है। यदि निर्धारित समय के अन्दर एन. सी. आई. झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वह पदोन्नति को अस्वीकार करते हैं।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 01st October, 2019 and its acceptance by the Competent Authority, **Ms Synala Veeraraju Suma**, Assistant Dietician is promoted to the post of **Dietician in the Level-7 of the Pay Matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs.4600)** from the date she assumes the charge of the post of Dietician at NCI, Jhajjar within seven days from the date of issue of this Office Order, failing which it will be presumed that she had denied her promotion.

उनकी वरिष्ठता आहार विशेषज्ञ के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् 01.10.2019 से प्रभावी होगी।

Her seniority in the post of Dietician will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 01.10.2019.

यदि वह एन. सी. आई. झज्जर में आहार विशेषज्ञ के पद पदभार ग्रहण करने में मना करते हैं / असफल होते हैं तो आहार विशेषज्ञ के पद उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी के निदेशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अवधि या अगली रिक्तियां आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।

In case, if she refuse to join at NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 07 days from the date of issue of this office order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order to be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly as per DoP&T instruction on this subject she will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/ एन.सी.आई. बडसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/ in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI Jhajjar and at any other centre opened by the Institute in future.

[Handwritten signature]
Mr. S. Gupta SA

जारी/Contd....2
21/11/19 गुला

-2-

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22(I) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided she has not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP के परिणाम या इस सम्बन्ध में DoPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Dietician is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[भूपिंदर सिंह गिल / Bhupinder Singh Gill]

प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

कुमारी स्यन्ला वीरराजु सूमा, सहायक आहार विशेषज्ञ, विभाग एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबोलिज्म

Ms. Synala Veeraraju Suma, Assistant Dietician, Deptt. Endocrinology and Metabolism

Through:- Head of Deptt, Endocrinology and Metabolism

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) विभागाध्यक्ष, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबोलिज्म
Head of Deptt, Endocrinology and Metabolism
- 2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव // PA to Chief Administrative Officer
- 3) मुख्य आहार विशेषज्ञ/Chief Dietician, Main Kitchen
- 4) प्रशासनिक अधिकारी (नि.का.) // Administrative Officer (DO)/Main Hospital
- 5) स्थापना अनुभाग (नि.का.) // Establishment Section (DO)/Main Hospital
- 6) लेखा अनुभाग-II एवं III //Accounts Section II & III
- 7) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section
- 8) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
Vigilance Cell / ACR's Cell / SC/ST Cell
- 9) संरक्षण मिसिल // Guard File
- 10) Professor-in-charge Computer Facility - with the request to upload the same on Institute website.